न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 127/2019

सी0आई0एस0 – 527/2019

नथुनी गड़ेरी उर्फ नथूनी पाल .....वादी।

बनाम्

सदीम मियॉ वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

31.01.2025 उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादी की ओर से दिनांक 12.11.2024 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष जो एक ही खानदान के हैं मुकदमा की जानकारी रखते हुए मुकदमा के दौरान विवादित ऐराजी खाता नं0 26, प्लाट नं0 2580, रकवा 05 डी0 नूरानी जामा मस्जिद मुस्लिम टोला साकिन– सलसला निर्देशक मो0 रिजवान अली के पक्ष में दान पत्र दिनांक 13.08.2024 को एवं प्लाट नं0 1981 की 02 डी0 भूमि अपने ही खानदान में दिनांक 13.08.2024 को एक कित्ता रजिस्ट्री केबाला के माध्यम से आपस में खरीद–बिक्री किये है तथा अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त के आलोंक में मुकदमा के अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक 03.01.2025 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को कथन है कि विवादित ऐराजी प्रथम पक्ष की पूर्वजों की खातियानी व दखली ऐराजी है। उसी आधार पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने खाता सं0 26, प्लाट नं0 1981, रकवा 02 डी0 तथा खाता नं0 26, प्लाट नं0 2580 को केबाला किये है तथा वादी द्वारा यह संशोधन आवेदन वाद को बिलम्बित करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है तथा अनुरोध करते है कि वादी का संशोधन आवेदन दिनांक 12.11.2024 खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में डीड नं0 5613 दिनांक 13.08.2024 की छाया प्रति दाखिल किया गया है जिसमें जिसमें मो0 बशीर अहमद द्वारा इम्तियाज मियॉ, मो0 कलीम तथा मो0 एहसान

लगातार

31.01.2025 अली को विवादित ऐराजी केबाला तहरीर किया गया है। एक अन्य डीड सं0 5620 दिनांक 13.08.2024 की छाया प्रति दाखिल किया गया है जिसमें मो0 बशीर अहमद वगै0 द्वारा नूरानी जामा मस्जिद मुस्लिम टोला साकिन– सलसला निर्देशक मों0 रिजवान अली के पक्ष में दान पत्र दिनांक 13.08.2024 तहरीर किया है। चूकिं यह मुकदमा के दौरान तहरीर किया गया है। अतः यह अनुवर्ती घटना है। उक्त संशोधन प्रस्तुत वाद के पूर्णरूपेण निस्तारण के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित पक्षकार आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते हैं। अतः वादी की ओर दाखिल संशोधन आवेदन स्वीकृत करने योग्य है। परन्तु वादी द्वारा उक्त आवेदन बिलम्ब से दाखिल किया गया है अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 12.11.2024 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में मो0 500/– पॉच सौ रूपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता हैं कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय कोर्ट फीस के संबंध में संशोधन पश्चात सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करें। प्रतिवादी अगर चाहें तो अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते है।

दिनांक 25.02.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)